

फर्द अहकाम

पक्षुका; बनाम आनफाक 200

यालय 345008
 आया 119/2022

माइकाडी 17741111016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/12/22	<p>मह प्रवर्तना पत्र अर्धी की मोडर व एडवोकी रमाशंकर शर्मा ने पेश की। लकील प्रवर्ती को मन्तरेण पत्र एक तपका सुना गफत। पत्रावली में मन्तरेण दस्तावेजाल का मन्तरेण कर्त पत्र प्रकार प्रवाज दुष्टिपत्र, सुदृढ व दुष्टिपत्र का मन्तरेण प्रवर्ती के पत्र में प्रतीत होला है। मन्तरेण मन्तरेणिया को जदिए मन्तरेण आम्वाडी निवेधास कि आगामी पेशी तक पाकिड किफत पत्र है कि आग ताल के त्विपत्र मूफि गत खतसत नम्बर 265 के एक त्वतत नम्बर 340 के प्रवर्ती के प्रकी ले चले आ रहे कर्तरे काशत में तपका आने के वातरेदारी मन्तरेण में मन्तरेणिया अपनी वातरेदारी मूफि खतसत नम्बर 342 के शपाम नम्बरे के गलत संकन की आँड में वादगत मूफि खतसत नम्बर 340, 342 का बेचान दस्तावेज नहीं कते। प्रवर्ती के कर्तरे काशत व कर्तरे काशती में दायक मन्तरेण नहीं कर्तरेया मीके व शपाम टिकड की प्रवालिपि वनाके शर्का प्रवर्तना पत्र दुर्ज रजिटर होकर नोडिस मन्तरेणिया को जारी होकर तलकी रजिं डाक में कवाडी पत्र पत्रावली दिनांक 28/12/22 की पेश हो</p>	
28/12/22	<p>पत्रावली पेश दुडी लकील प्रवर्ती उद्ये पत्रावली का मन्तरेण किफत गफत। पत्रावली में लकील प्रवर्ती एक मन्तरेणिया को नोडिस रजिं डाक में</p>	



 जयका मन्तरेण
 जयका मन्तरेण

फर्द अहकाम

उपखण्ड अफिस बनाम (विशेष अफिस)

नाम न्यायालय उपखण्ड अफिस, जम्मू, जम्मू, जम्मू.

केस संख्या 119/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
		<p>तलाक़ी नही करवाई। अतः दिनांक 20/12/22 को जारी मन्तरिक आदेशों निषेधात्मक आदेश को रवायिफ किया जाता है। अतः इस पत्रावली को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली को इसी तरह पर रवायिफ किया जाता है। पत्रावली केवल शुभाह होकर नष्ट ले कर ही तलाक़ बाद पूर्ति होकर दायरिल उपर लेता</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जम्मू न्यायालय </p>	